# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

**(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)**

**अपील संख्याः—320/2015/223 (2015/00177)**

1. मूलसिंह,
2. टीलसिंह,
3. बन्नासिंह,

पुत्रगण तलसासिंह, जाति रावत, निवासी गांव सेदरिया, पोस्ट सेदरिया, तहसील ब्यावर जिला अजमेर ।

**अपीलांटस**

**बनाम**

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, ब्यावर ।
2. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर, अजमेर ।
3. नगर परिषद, ब्यावर जरिये आयुक्त, नगर परिषद, ब्यावर ।

**रेस्पोडेंटस**

**अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध आदेश विद्वान उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, ब्यावर दिनांक 24.6.2015 अंतर्गत वाद संख्या 54/2012.**

**उपस्थितः—**

1. श्री अनिल शर्मा, वकील अपीलांटस ।
2. श्री धर्मवीर चौधरी, पैरोकार सरकार रेस्पो0 संख्या 1 से 2.
3. श्री सुरेन्द्र सेठी, वकील रेस्पो0 संख्या 3.

## निर्णय

**दिनांकः—21.8.2018**

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर ब्यावर के आदेश दिनांक 24.6.2015 के विरूद्ध प्राप्त हुई है ।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांटस के पिता द्वारा अधी0न्याया0 में एक वाद अंतर्गत धारा 88 व 188 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत ग्राम सेदरिया, तह ब्यावर स्थित आराजी संख्या नया 1075/1 रकबा 7 बीघा किस्म दांती एवं खसरा नंबर 397/2 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा बारानी—3 बाबत् प्रस्तुत कर कथन किया कि विवादित आराजियात अपीलांट के पिता के कब्जे काश्त में चली आ रही है । राजस्थान काश्तकारी अधि0 एवं जमींदारी बिस्वेदारी उन्मूलन अधि0 तथा अजमेर टिनेन्सी एण्ड लैण्ड रिकार्डस एक्ट के प्रावधानों के प्रभावशील होने के पूर्व से विवादित आराजियात पर वादी का कब्जा काश्त चले आने से वादी स्वतः विवादित आराजियात का खातेदार काश्तकार हो चुका है किन्तु विवादित आराजियात राजस्व कर्मचारियों की गलती से राजस्व रिकार्ड में वादी के नाम दर्ज नहीं हो सकी जिसका फायदा उठाकर प्रतिवादीगण वादी को विवादित आराजियात से बेदखल करने पर आमादा है । अतः वाद स्वीकार कर वादी को विवादित आराजियात का खातेदार

काश्तकार घोषित किया जावे । अधी0न्याया0 ने वादी/अपीलांटस का वाद कैम्प नन्दीमालदेव में दिनांक 24.6.2015 को अबेट करने के आदेश पारित किये । अधी0न्याया0 के इस निर्णय से अंसतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

3. बहस उभयपक्ष अभिभाषकगण सुनी गई । विद्वान वकील अपीलांट ने अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि अधी0न्याया0 द्वारा अपने क्षैत्राधिकार का दुरूपयोग कर अपीलाधीन आदेश पारित किया है । अधी0न्याया0 ने व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 22 नियम 10–ए का उल्लघंन कर अपीलाधीन आदेश पारित किया है । अधी0न्याया0 को प्रथम बार यह जानकारी हुइ कि वाद के तन्हा वादी की मृत्यु हो चुकी है, आदेश 22 नियम 10–ए के अनुसार प्रतिवादी ने इसकी सूचना न्यायालय को नहीं दी, अधी0न्याया0 ने वादी के विधिक वारिसान को नोटिस का आदेश दिये बिना एवं बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये केवल मात्र पटवारी की अधूरी रिपोर्ट का उल्लेख कर अपीलाधीन आदेश द्वारा वादी/अपीलांटस का वाद अपास्त किया है जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में आगे कथन किया कि अधी0न्याया0 ने राजस्व लोक अदालत के बाबत् नोटिस तन्हा वादी व रेस्पो0 संख्या 1 व 3 को जारी किये है तथा रेस्पो0 संख्या 2 को नोटिस ही जारी नहीं किये गये । राजस्व लोक अदालत के नोटिस पटवारी की मृत्यु की सूचना होने पर तथा इस कारण तामील नहीं सके थे तो लोक अदीलत में प्रकरण रखे जाने का कोई औचित्य नहीं था । विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में आगे कथन किया कि आदेश 22 नियम 10–ए के अनुसार वादी की मृत्यु की सूचना होने पर प्रतिवादी को इसकी सूचना न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करनी होती है तथा सूचना कि दिनांक से ावद के अबेट होने कि मियाद शुरू होती है किन्तु प्रस्तुत प्रकरण में वादी की मृत्यु की सूचना तामिल कुनिन्दा द्वारा तहसील ब्यावर में प्रस्तुत की गई जिसे पटवारी सेदरिया द्वारा दिनांक 24.6.2015 को लोक अदालत में प्रस्तुत किया जिसे अधी0न्याया0 ने नजरअंदाज कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है विधिविरूद्ध होने से निरस्तनीय है । लोक अदालत में उन्हीं प्रकरणों को निर्णित किया जा सकता है जिसमें दोनो पक्षकार व उनके अभिभाषकगण उपस्थित हो तथा पारस्परिक रूप से सहमत हो। अधी0न्याया0 ने इन सभी तथ्यां को नजरअंदाज कर अपीलाधीन आदेश द्वारा वादी/अपीलांटस का वाद अपास्त करने में त्रुटि कारित की है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय अपास्त किया जावे तथा वादी के विधिक वारिसान को नोटिस जारी कर वाद को निर्णित करे ।

4. विद्वान वकील अपीलांटस ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 पेश कर निवेदन किया कि अपीलांटस के पिता द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष्ज्ञ विवादित आराजियात बाबत् वाद प्रस्तुत किया गया था किन्तु वाद के विचाराधीन रहते उनके पिता का देहांत हो गया था किन्तु अपीलांटस को कानूनी जानकारी नहीं होने से अधी0न्याया0 के समक्ष विचाराधीन वाद में पक्षकार नहीं बन सके थे जबकि विवादित आरायिजात में पक्षकारान के हित निहित है । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थीगण अपीलांटस को अपीलाधीन आदेश के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जावे ।

5. जवाब बहस में विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 व 2 पैरोकार सरकार ने बहस में कथन किया कि वादी तुलसा सिंह की मृत्यु दिनांक 8.11.2013 को हो चुकी थी इसके बावजूद वादी तुलसासिंह के वारिसान पुत्र ने नोटिस प्राप्त किया इसके बावजूद न्यायालय के समक्ष अनुपस्थित रहे है तथा वारिसान को रिकार्ड पर लिये जाने के संबंध में कोई कार्यवाही नहीं है । अपीलांटस को कैम्प की भी पूर्ण जानकारी थी इसके बावजूद

अपीलांटस कैम्प में अनुपस्थित रहे है । अधी0न्याया0 ने विधिसम्मत् रूप से वादी/अपीलांटस का वाद अबेट किया है जिसमें किसी प्रकार त्रुटि नहीं है । अतः अपील अपीलांटस अपास्त की जावे।

6. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों एवं निर्णय का अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 का निस्तारण करना उचित समझते है । पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधी0न्याया0 में वाद अपीलांटस के पिता तुलसा द्वारा प्रस्तुत किया गया था तथा तुलसा की मृत्यु वाद के विचाराधीन रहते हो गई थी । चूंकि अपीलांटस मृतक तुलसासिंह के विधिक वारिसान की हैसियत से अपीलाधीन आदेश के विरूद्ध न्यायालय हाजा के समक्ष अपील प्रस्तुत की है । अधी0न्याया0 में वादी तुलसासिंह की मृत्यु के संबंध में प्रतिवादीगण द्वारा न्यायालय हाजा को सूचना दिये जाने के संबंध में कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है । राजस्व कैम्प दिनांक 24.6.2015 के नोटिस भी मृतक तुलसासिंह को जारी किया गया है तथा दिनांक 24.6. 2015 को ही वाद को अबेटमेंट के आधार पर अपास्त करने के आदेश पारित किये है । अधी0न्याया0 की उक्त कार्यवाही से यह पूर्णतया स्पष्ट है कि अधी0न्याया0 ने वादी तुलसासिंह के विधिक वारिसान को रिकार्ड पर लिये जाने के संबंध में प्रयास किये बिना वादी का वाद अपास्त किया है । अपीलांटस वादी तुलसासिंह के विधिक वारिसान है जिन्हें साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक समझते है । अतः अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.6.2013 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

7. अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 स्वीकार किये जाने से अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा विद्वान अधी0न्याया0 द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.6.2015 अपास्त किया जाकर प्रकरण अधी0न्याया0 को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे वाद में मृतक तुलसासिंह के विधिक वारिसान को रिकार्ड पर लेकर उभयपक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए वाद को गुणावगुण पर निर्णित करे ।

**(बी0एल0मेहरड़ा)**
**राजस्व अपील प्राधिकारी,**
**अजमेर**

8. निर्णय आज दिनांक 21.8.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

**(बी0एल0मेहरड़ा)**
**राजस्व अपील प्राधिकारी,**
**अजमेर**